

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी, जिला धमतरी (छ0ग0)

// विज्ञापन //

कमांक 884/दो-11-03/2019

धमतरी, दिनांक 24/04/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 25/04/2023 प्रातः 11:00 बजे से एवं
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 24/05/2023 संध्या 05:00 बजे तक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिन्दी, सहायक ग्रेड-तीन के समकक्ष (निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक एवं साक्ष्य लेखक) के रिक्त पदों की सीधी भर्ती की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में आमंत्रित किये जाते हैं, जिसके अनुसार विज्ञापित पदों एवं वर्गवार पद निम्नानुसार है:-

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्टेनोग्राफर हिन्दी	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	सहा.ग्रेड 3 के समकक्ष (निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक एवं साक्ष्य लेखक)	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
योग		4	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—

महत्वपूर्ण टीप :-

- आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WPC No. 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित किये गये आदेश के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय /आदेशों के अध्याधीन होगी।
- उक्त सीधी भर्ती विज्ञापन अंतर्गत माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा याचिका कमांक WPC No. 1081/2020 नन्द कुमार गुप्ता एवं 140 अन्य विरुद्ध छ0ग0 शासन एवं 02 अन्य तथा 06 अन्य याचिका प्रकरणों में आदेश दिनांक 12.05.2022 के फलस्वरूप विज्ञापित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है।
- माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा WPC No. 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में दिनांक 19.09.2022 को आदेश पारित करते हुए आरक्षण प्रतिशत (58 प्रतिशत) को असंवैधानिक घोषित किया गया है। अतः उक्त आदेश के परिपालन में वर्ष 2012 में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन के पूर्व निर्धारित

आरक्षण प्रतिशत (50 प्रतिशत) के आधार पर, जिला संवर्ग के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु निर्धारित आरक्षण प्रावधान है।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लिए—

अ— छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल—07 (रूपये 28700—91300)

ब— शैक्षणिक योग्यता:—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।
4. हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key)डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

(2) सहायक ग्रेड—3 के समकक्ष (निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक एवं साक्ष्य लेखक) पद के लिए—

अ— छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल—04 (रूपये 19500—62000)

ब— शैक्षणिक योग्यता:—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
2. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।
3. हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key)डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

—:: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें ::—

(1) आयु सीमा—

(अ)प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर किमिलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ब) आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम के संबंध में स्पष्ट करते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

(2) **उच्चतर आयु सीमा में छूट:-**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

2 (एक) (1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

2 (एक) (2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

2 (एक) (3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीजेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलो आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य रहेगी।

2 (एक) (4)- ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराये या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

2 (एक) (5)- ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2 (एक) (6)- महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

2 (एक) (7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रुम में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि)वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

2 (एक) (8)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

2 (दो) (1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरुस्कृत दंपतियों के संवर्ण सहभागीय को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2 (दो) (2)- विक्रम पुरुस्कार सहित राजीव गांधी पुरस्कार, गुंडाधूर सम्मान, महाराज प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

2 (दो)(3)- उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-10/2004/1-9, दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप- (1) बिंदू क्रमांक 4 (एक) में अधिकतम लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदू क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदू क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण:- यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी, विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयोग की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

(3) अन्य शर्तें:-

- (1) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- (2) रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
(कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है)

- (4) (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति/पत्नी जीवित हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

- (5) चयनित उम्मीदवारों को छ0ग0 शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा, रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित **उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी** एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम **70%, 80%, 90%** राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा तथा अन्य भत्ते नियमानुसार प्राप्त होंगे।

- (6) चयनित उम्मीदवारों को धमतरी जिले के बाह्य न्यायालयों में भी नियुक्ति की जा सकेगी।

- (7) चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दण्डक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

- (8) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (9) आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

- (10) जो अभ्यर्थी शासकीय/अर्धशासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी **अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र** आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (11) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (12) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2023 की संध्या 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर बायी ओर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद स्टेनोग्राफर-हिन्दी/सहायक ग्रेड-3 के पद पर सीधी भर्ती पर नियुक्ति हेतु आवेदन पर लिखा हो, कार्यालय** जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी (छ0ग0) को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त किये जावेंगे। **दिनांक 24.05.2023 की संध्या 05.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे।** आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

1. विज्ञापन व आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय के वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari> से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
2. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण अथवा हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करें।
4. आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में **आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड की कोई एक स्वप्रमाणित छायाप्रति** संलग्न करें।
5. ई-मेल, फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. बिना हस्ताक्षर के प्रेषित आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।
7. आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

8. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है।
9. अभ्यर्थी किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो तथा किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित न हो तथा किसी आपराधिक प्रकरण में दण्डित न किया गया हो।
10. आवेदन पत्र में आवेदक मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई-डी भी उल्लेख करेगा। यदि दिये गये मोबाईल नंबर इत्यादि में कोई त्रुटि होने के कारण सम्पर्क नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
11. आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्द्राज नीले बॉल पेन/डॉट पेन से ही करेगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
12. विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
13. त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।
14. आवेदन पत्रों की छटनी उपरांत पात्र/अपात्र उम्मीदवारों की सूची पृथक-पृथक जिला न्यायालय के वेबसाईट [https:// districts.ecourts.gov.in/ dhamtari](https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari) एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जावेगी।
15. दावा आपत्ति 07 दिवस के भीतर संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विलंब से प्रस्तुत दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
16. एक ही लिफाफे में एक से अधिक आवेदन प्रेषित किये जाने पर किसी भी पद के लिये स्वीकार नहीं किया जावेगा।
17. कोविड-19 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश लागू व मान्य होगा। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर जिला न्यायालय के वेबसाईट [https:// districts.ecourts.gov.in/ dhamtari](https:// districts.ecourts.gov.in/dhamtari) का अवलोकन करते रहेंगे।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

पदवार, आवेदनों की संख्या अधिक होने पर, विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रावीण्यता (मेरिट) के आधार पर 01 (एक) पद पर 15 (पन्द्रह) के अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा (skill Test) हेतु बुलाया जायेगा।

समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

कौशल परीक्षा

(2) स्टेनोग्राफर (हिन्दी)

(अ) कौशल परीक्षा—

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ट, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा।

कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी।

कौशल परीक्षा उबन्टू लाईनेक्स (UBUNTU LINUX) ऑपरेटिंग सिस्टम में Libre Office Writer में ली जायेगी।

(3) सहायक ग्रेड (तीन)

(अ) कौशल परीक्षा—

सहायक ग्रेड—तीन के पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द की हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ट, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा।

कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी।

कौशल परीक्षा उबन्टू लाईनेक्स (UBUNTU LINUX) ऑपरेटिंग सिस्टम में Libre Office Writer में ली जायेगी।

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

1. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आएगा, उनका चयन किया जावेगा।
3. चयनित उम्मीदवार की सर्वप्रथम अंतिम सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, जिसका प्रकाशन कार्यालय के वेबसाइट [https:// districts.ecourts.gov.in/ dhamtari](https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari) एवं कार्यालय की सूचना पटल में किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो, तो 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।
4. तत्पश्चात् चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवार का, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
6. उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छोगा उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन, की जावेगी।
7. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताए, किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर एवं स्वहस्ताक्षरित कर, प्रस्तुत करना होगा। **साथ ही अभ्यर्थी, स्वयं के पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र अथवा पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जावेगा।**
10. कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

11. प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत, पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाईड <https://districts.ecourts.gov.in/dhamtari> पर अपलोड किया जावेगा तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।
12. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

महत्वपूर्ण टीप:-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

धमतरी-
दिनांक -

Sunil
अध्यक्ष,
भर्ती/चयन समिति
धमतरी छ0ग0
24/4/23

आवेदन पत्र का प्रारूप

(स्टेनोग्राफर-हिन्दी एवं सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
धमतरी (छत्तीसगढ़)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं दिनांक
सहित

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
3. लिंग- पुरुष संकेतक-1, महिला संकेतक-2 ☐
4. पिता/पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
(हिन्दी में) :
:
(ब) स्थाई पता :
:
:
:
6. (अ) जन्म तिथि (अंको में)

--	--	--	--	--	--	--	--

(शब्दों में) :
(ब) दिनांक 01/01/2022 को आयु : वर्ष माह दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर :
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हाँ/नहीं ☐
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. क्या आवेदन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/ ☐
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ/नहीं
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

// 2 //

11. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

12. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक

दिनांक

13. रोजगार कार्यालय का नाम

.....

14. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/नहीं

15. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

16. जीवित बच्चों की संख्या

क्र०	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1	2	3	4

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

19. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं।
1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र	
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र	
3. स्नातक प्रमाण पत्र	
4. स्नात्कोत्तर प्रमाण पत्र	
5. हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र	
6. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र	
7. छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र	
8. छ0ग0 का स्थायी जाति प्रमाण पत्र	
9. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र	
10. अन्य	

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उनमें कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वमेव निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक:-

आवेदक का हस्ताक्षर-

स्थान:-

नाम एवं पूरा पता-

मोबाईल नं.-

ई-मेल-

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरे)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी (छ0ग0)

—: प्रवेश पत्र :-

स्टेनोग्राफर हिन्दी/ सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु।

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं दिनांक
सहित

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	

आवेदित पद का नाम :—
अभ्यर्थी का नाम :—
पिता/पति का नाम :—
वर्ग—(अना./अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व.) :—
परीक्षा तिथि :—
समय :—
परीक्षा केन्द्र :—

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु।

वास्ते/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धमतरी छ0ग0

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश:-

- 1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
- 3/ परीक्षा में केवल काले अथवा नीले बाल पेन का प्रयोग करें।
- 4/ परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे। पृथक से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाइट से प्राप्त करें।
- 5/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेपर, कैल्कुलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, ब्लू टूथ आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 6/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी अपनी एक अतिरिक्त फोटो आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।
- 7/ परीक्षार्थी अपने साथ आई.डी. की मूलप्रति साथ लावे।
- 8/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- 9/ परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार परीक्षा तिथि को परीक्षा स्थल में कोविड-19 के संदर्भ में केन्द्र/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क एवं सेनिटाईजर का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यायालय परिसर में उपस्थित होंगे।